यथाविमर्शित/निर्देशित।

सेवा/संवर्ग नियमावलियों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 13.11.2023 को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 के संबंध में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परामर्श दिया गया है कि प्रस्तावित नियमावली में संवर्ग के पदसोपान की संरचना एवं वेतनमान के संदर्भ में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाय।

"कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025" प्रारूप में प्रस्तावित संवर्ग की संरचना निम्न प्रकार है:–

क्र0	कोटि का नाम	कोटि का स्तर	प्रास्थिति
1.	कृषि समन्वयक	मूल कोटि का पद	अराजपत्रित
2.	प्रखंड कृषि समन्वयक	प्रथम प्रोन्नति का पद	अराजपत्रित

प्रखंड कृषि समन्वयक का पद कृषि समन्वयक से उच्चतर प्रोन्नति का पद होने के कारण (i) प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) कार्यालय (ii) जिला कृषि कार्यालय (iii) अनुमंडल कृषि कार्यालय (iv) अनुमण्डल उद्यान कार्यालय (v) प्रखंड कृषि कार्यालय (vi) राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र (vii) कृषि विपणन निदेशालय के अधीन (viii) भूमि संरक्षण निदेशालय अंतर्गत संबंधित जिला (ix) जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (x) जिला कृषि अभियंत्रण_कार्यालय में कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं रिपोर्ट करने का कार्य लिया जाएगा, जो अधिक जिम्मेवारी का एवं महत्वपूर्ण कार्य है। अतः उक्त कार्य हेतु कृषि समन्वयक से उपर इस संवर्ग में एक अलग वरीय पद/वेतनमान आवश्यक है। तदनुसार संवर्ग का प्रथम प्रोन्नत पद प्रखंड कृषि समन्वयक (वेतन स्तर–6) का गठन किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता संवर्ग हेतु अधिसूचित नियमावली 1987 को निरसन करते हुए कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता के नई नियमावली गठन से संबंधित कार्रवाई अलग से प्रक्रियाधीन है।

कृषि समन्वयक में पूर्व स्वीकृत पद कुल 4391 है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 03 पंचायत पर एक कृषि समन्वयक के पद का प्रस्ताव है, जिसमें मूल कोटि अन्तर्गत कृषि समन्वयक के 2697 प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद का पुनर्गठन/सृजन की आवश्यकता है। इस तरह कुल स्वीकृत 4391 पदों में से 4391–2697 = 1694 पदों को समर्पित करते हुए कृषि समन्वयक के 2697 पद एवं प्रखंड कृषि समन्वयक के 1455 पद पुनर्गठन/सृजन करने की कार्रवाई की जाएगी।

कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बिहार में वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक तीन कृषि रोड मैप वर्ष 2008–12 की समयावधि में प्रथम, 2012–17 में द्वितीय एवं 2017–22 की अवधि में तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में चतुर्थ कृषि रोड मैप का सूत्रण अगले पाँच वर्षों (2023–28) के लिए किया गया है। कृषि रोड मैप का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता रहा है। प्रथम कृषि रोड मैप से चतुर्थ कृषि रोड मैप तक कृषि विभागीय योजना आकार में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। प्रथम कृषि रोड मैप के समय वित्तीय आवश्यकता आकार 2994.40 करोड़ (दो हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ चालीस लाख रूपये) से बढ़कर चतुर्थ कृषि रोड मैप में 22366.18 करोड़ रूपये (बाईस हजार तीन सौ छियासठ करोड़

अठारह लाख रूपये) हो गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है।

पूर्व में नियमावली गठित करने के क्रम में प्रारुप नियमावली के नियम 3 में अंकित संवर्ग के पदसोपान एवं वेतनमान के बिन्दु पर सहमति हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की गई थी। जिस क्रम में वित्त विभाग द्वारा कुछ विसंगतियाँ उल्लेखित की गई थी (128–129/टि.)। उक्त विसंगतियाँ एवं अनुपालन/त्रुटिमार्जन की विवरणी निम्नवत् है:–

(i)	वर्ष 2014 के नियमावली से स्पष्ट है कि कृषि समन्वयक संवर्ग बनाने का मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन में प्रखंड से न्यून स्तर अर्थात पंचायत स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना है। ऐसी स्थिति में चूँकि पंचायत से उच्च स्तर के कार्यलयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा एवं बिहार कृषि सेवा में उच्चतर पद उपलब्ध है। अतः एक नये पद वरीय कृषि समन्वयक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	वर्ष 2014 के नियमावली से स्पष्ट होता है कि कृषि समन्वयक संवर्ग बनाने का मुख्य उदेश्य कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन में प्रखण्ड से न्यून स्तर अर्थात् पंचायत स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना है। परन्तु यह स्पष्ट करना है कि कृषि विभाग का उदेश्य एवं क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक एवं जटिल है। कृषि विभाग अंतर्गत स्वीकृत अधीनस्थ सेवा का पद विभिन्न नौ कोटियों में विभक्त है। वर्तमान में कृषि समन्वयकों की सेवा पंचायत के अलावा प्रखण्ड एवं अन्य उच्च स्तर पर विभिन्न कोटियों में भी लिये जाने की आवश्यकता है, जिससे एक वरीय पद के माध्यम से सरकार के विभिन्न कृषि संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं को कृषको तक पहुंचाया जा सके।
(ii)	वर्तमान में कृषि समन्वयक (वेतनस्तर–5) से प्रोन्नति हेतु बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष (वेतनस्तर–7) पद पर गैर–संवर्गीय प्रोन्नति का प्रावधान है। प्रखंड स्तर पर किसानों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किये जाते हैं। राज्य/प्रमंडल/जिला मुख्यालय में उक्त कार्य हेतु बिहार कृषि सेवा में उच्चतर पद भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब कार्य एवं दायित्व में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो मात्र वित्तीय उन्नयन की दृष्टि से एक ही समरूप कार्य हेतु वरीय कृषि समन्वयक पद की आवश्यकता उचित नहीं है।	प्रखण्ड/जिला/प्रमण्डल एवं मुख्यालय स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की संख्या/भूमिका अत्यंत सीमित एवं पूर्व के समय के कार्यबल/कार्य की आवश्यकता के अनुरूप है। परन्तु वर्तमान में कृषि विभाग का कार्यक्षेत्र अत्यंत ही व्यापक एवं जटिल हो गया है जिसके लिए अधीनस्थ सेवा एवं पंचायत स्तरीय सेवा के बीच में एक पद की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रमण्डल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर कार्य विस्तार एवं कार्य की जटिलता के कारण उच्चतर पद की आवश्यकता है न कि मात्र प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन के दृष्टिकोण से।

(iii)	राज्य वेतन आयोग के द्वारा यह स्पष्ट अनुशंसा की गई है कि मूल कोटि से भिन्न उच्चतर प्रोन्नति के पदसोपान उच्चतर कार्य दायित्व (Higher Functional Responsibilites) एवं प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से विहित होना चाहिए। वेतन आयोग की उक्त अनुशंसा से स्पष्ट होता है कि प्रोन्नति के उच्चतर पदसोपान बनाये जाने का उद्देश्य उच्च कार्यात्मक जिम्मेदारियों के बिना प्रोन्नति के अवसर पैदा करना नहीं होना चाहिए।	गुरुत्तर दायित्व के दृष्टिकोण से ही उच्च कार्यदायित्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से पद की परिकल्पना की गई है एवं वेतन आयोग के किसी भी अनुशंसा/मापदण्ड का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।
(iv)	प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व में पृष्ठ 109–110/टि० पर कृषि समन्वयक का नाम परिवर्तित करते हुए पंचायत कृषि प्रसार पर्यवेक्षक एवं वरीय पंचायत कृषि प्रसार पर्यवेक्षक पदनाम से पदों की संख्या 60:40 के अनुपात में बाँटते हुए प्रस्तावित नियमावली पर सहमति हेतु दिनांक–21.12.2023 को उपलब्ध कराया गया था। वित्त विभागीय परामर्शोपरान्त संचिका प्रशासी विभाग को दिनांक –15.01.2024 को वापस की गई। पुनः पृष्ठ–125–126/टि० पर कृषि समन्वयक एवं वरीय कृषि समन्वयक पदनाम से पदों की संख्या 75:25 के अनुपात में बाँटते हुए प्रस्ताव दिनांक 23.08.2024 को उपलब्ध कराया गया है। कार्य एवं दायित्व में परिवर्तन हुये बिना, उच्चतर कार्यालय में पदस्थापन मात्र के आधार पर उपरोक्त प्रोन्नति के पद का प्रावधान करना उचित नहीं है।	कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि समन्वयक पदनाम से पदों का प्रतिशत को हटा दिया गया है। आवश्यकता अनुरूप संख्या बल का प्रत्यर्पण/सम्परिवर्तन/पुनर्गठन/सृजन किया जाएगा।

विमर्शानुसार प्राप्त निदेश के आलोक में कृषि समन्वयक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025 का प्रारूप एवं अनुसूची पृष्ठ 283–276/प० पर रक्षित है। प्रस्तावित नियमावली प्रारूप का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

1. यह नियमावली "कृषि समन्वयक (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
2. "नियुक्ति प्राधिकार"/"अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार;

3. यह संवर्ग एक अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग होगा जिसकी संवर्ग संरचना निम्नवत होगी:-

क्र०	पदनाम	पदसोपान	सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन स्तर
1.	कृषि समन्वयक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	वेतन स्तर - 5
2.	प्रखंड कृषि समन्वयक	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	वेतन स्तर - 6

कृषि समन्वयक का पद समूह 'ग' (अराजपत्रित) एवं प्रखंड कृषि समन्वयक का पद समूह 'ख' (अराजपत्रित) के अधीन वर्गीकृत किया जायेगा।

4. संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत होगी :-

(क) कृषि समन्वयक के पदों की विवरणी

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रखंडों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	जिलावार पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	प्रत्येक 03 पंचायत पर एक कृषि समन्वयक के अनुसार संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पटना	23	309	169	103
2	नालंदा	20	231	130	77
3	आरा (भोजपुर)	14	226	119	76
4	बक्सर	11	136	76	46
5	रोहतास	19	229	128	77
6	कैमूर (भभुआ)	11	146	79	50
7	गया	24	320	171	107
8	अरवल	5	64	37	22
9	जहानाबाद	7	88	51	30
10	औरंगाबाद	11	182	107	61
11	नवादा	14	182	98	61
12	सारण	20	318	167	106
13	सिवान	19	284	152	95
14	गोपालगंज	14	230	122	78
15	मुजफ्फरपुर	16	373	198	125
16	पूर्वी चम्पारण	27	396	208	132
17	पश्चिम चम्पारण	17	303	163	101
18	सीतामढ़ी	18	258	142	86
19	शिवहर	5	53	31	18
20	वैशाली	16	278	150	94
21	दरभंगा	18	309	167	103

22	मधुबनी	21	386	205	129
23	समस्तीपुर	20	346	196	116
24	बेगूसराय	18	217	121	73
25	लखीसराय	7	76	45	26
26	जमुई	10	152	81	51
27	शेखपुरा	6	49	32	17
28	मुंगेर	9	97	55	33
29	भागलपुर	16	238	126	80
30	बांका	11	182	97	61
31	सहरसा	10	135	80	45
32	सुपौल	11	174	95	58
33	मधेपुरा	13	160	90	54
34	पूर्णियाँ	14	230	128	78
35	अररिया	9	211	114	71
36	किशनगंज	7	125	68	42
37	कटिहार	16	231	124	77
38	खगड़िया	7	113	69	38
कुल		534	8037	4391	2697

(ख) प्रखंड कृषि समन्वयक के पदों की विवरणी

कार्यालय का नाम	पदों की संख्या	
प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) कार्यालय (9 x 2)	18	
जिला कृषि कार्यालय (38 x 2)	76	
अनुमण्डल कृषि कार्यालय (101 x 2)	202	
अनुमण्डल उद्यान कार्यालय (101 x 1)	101	
प्रखण्ड कृषि कार्यालय (534 x 1)	534	
राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र (237 x 1)	237	
कृषि विपणन निदेशालय के अधीन	101	
भूमि संरक्षण निदेशालय अन्तर्गत संबंधित जिला मुख्यालय (17 x 2)	34	
जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (38 x 2)	76	
जिला कृषि अभियंत्रण कार्यालय (38 x 2)	76	
कुल	1455	

5. कृषि समन्वयक पंचायत स्तर पर कृषि संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण, कृषि प्रसार कार्य/पर्यवेक्षण, Digital Crop Survey का कार्य/पर्यवेक्षण, बीज उत्पादन में

सहयोग, सभी तरह के प्रत्यक्षण से संबंधित कार्य/पर्यवेक्षण, बीज प्रतिस्थापन से संबंधित कार्य/पर्यवेक्षण तथा समय–समय पर विभाग/अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा सौंपे गये भिन्न–भिन्न कार्य कर सकेंगे।

प्रखंड कृषि समन्वयक पंचायत स्तर से ऊपर के अपने पदस्थापित कार्यालयों में उक्त कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे।

6. इस संवर्ग में मूल कोटि के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती "बिहार लोक सेवा आयोग" द्वारा की जाएगी।

7. **शैक्षणिक योग्यता**– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान/ कृषि अभियंत्रण/जैव प्रौद्योगिकी से स्नातक की डिग्री आवश्यक है।

8. संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर की जायेगी।

9. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होंगे–
   (i) सामान्य हिन्दी– 100 अंक (एक पत्र)
   (ii) सामान्य ज्ञान– 100 अंक (एक पत्र)
   (iii) कृषि विज्ञान/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/जैव प्रौद्योगिकी (200 अंक का दो पत्र)– 400 अंक

प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा किन्तु, इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/जैव प्रौद्योगिकी में 200–200 अंकों के दो प्रश्न पत्रों, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के एक प्रश्न पत्र के विरुद्ध प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान एवं कृषि विज्ञान/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/जैव प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा।

कृषि विज्ञान/उद्यान/कृषि अभियंत्रण/जैव प्रौद्योगिकी के दो एवं सामान्य ज्ञान के एक प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक के योग के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग नियमानुसार मेधा सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूचियों में से आयोग प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अनुशंसा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगा।

संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिमानता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश लागू हो सकेंगे। परन्तु, यह अधिमानता न्यूनतम अहर्तांक (Qualifying Marks) में परिगणित नहीं की जाएगी।

10. संवर्ग में नियुक्त अथवा वर्त्तमान कार्यरत कर्मियों को वेतनवृद्धि तथा सेवा सम्पुष्टि के लिए राजभाषा निदेशालय, बिहार द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा समय–समय पर आयोजित विभागीय परीक्षा के यथानिर्धारित पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. नियमावली प्रभावी होने के पूर्व कृषि विभाग द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मी, राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा से विमुक्त माने जायेंगे।

12. संवर्ग में नियुक्त कर्मियों को हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

13. मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर वरीयता, कार्य अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

14. संवर्ग के मूल कोटि के 50 प्रतिशत पद कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता को प्रोन्नति देकर भरे जा सकेंगे।

15. विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कृषि निदेशक की अध्यक्षता में विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

16. जिन मामलों में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उन मामलों में इस संवर्ग के कर्मी राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गए प्रावधान से आच्छादित होंगे।

17. इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना सक्षम होंगे, जिसके लिए आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

18. नियत तिथि से कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–375 दिनांक– 11.03.2014 के द्वारा अधिसूचित "कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2014" निरसित समझी जाएगी।

वित्त विभागीय पत्रांक–10068 दिनांक– 28.10.2022 (पृष्ठ 224–223/प०) के आलोक में नियमावली गठन संबंधित पदसोपान/संवर्ग संरचना एवं वेतनमान की समीक्षा/मंतव्य वित्त विभाग से प्राप्त करने हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जानी है।

परन्तु सर्वप्रथम प्रारूप पर सहमति की स्थिति में प्रधान सचिव, कृषि विभाग के माध्यम से नियमावली प्रारूप पर माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री जी का अनुमोदन/आदेश प्राप्त करना चाहेंगे।

(मुकेश कुमार अग्रवाल)
उप निदेशक (प्रशासन)

कृषि निदेशक